पत्रांक: SHSB/AOCell/01/2020(P-1)/...37...

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : 03/04/2020

विषय: COVID-19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु सभी अनुमंडलीय अस्पताल में Isolation Ward का संचालन तथा आपातकालीन सेवा एवं संस्थागत प्रसव की सेवा प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 9664 दिनांक 26.03.2020 एवं पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय उक्त प्रासंगिक पत्रांक 9664 दिनांक 26.03.2020 द्वारा COVID-19 के चिकित्सकीय उपचार हेतु जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध सभी बेड का उपयोग Isolation Ward में करने संबंधी निदेश दिये गये हैं। उक्त पत्र की कंडिका 4 में निदेश दिया गया है कि अनुमंडलीय अस्पताल में पूर्व से भर्ती मरीजों (COVID-19 एवं इससे संबंधित संदेहात्मक मरीजों को छोड़कर), जो सामान्य/स्थिर स्थिति में आ चुके है, उन्हें शीघ्र अस्पताल से मुक्त कर दिया जाये और नये सामान्य/स्थिर मरीजों की भर्ती अनुमंडलीय अस्पताल में नही किया जाये।

2. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020 द्वारा बिहार राज्य में विदेश से आए व्यक्ति अथवा COVID-19 Positive के संपर्क में आए अथवा COVID-19 Positive व्यक्तियों के ईलाज हेतु Isolation Centre/Quarantine Centre में रखने के संबंध में निदेश दिये गये हैं।

3. उक्त के क्रम में स्पष्ट करना है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020 के अनुसरण में COVID-19 True Positive Asymptomatic को स्वास्थ्य संस्थान से अलग चिन्हित Isolation-cum-Treatment Centre में भर्ती किया जाये। इसके अतिरिक्त COVID-19 True Positive symptomatic मरीज अथवा जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, को जिला से संबद्ध (tagged) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती किया जाये। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के Isolation Ward में COVID-19 के मरीज/व्यक्ति की संख्या क्षमता से अधिक हो जाने पर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation Ward का उपयोग किया जायेगा।

4. जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation Ward में COVID-19 True Positive मरीजों/व्यक्तियों की भर्ती जब तक नही होती है, तब तक अनुमंडलीय अस्पताल में आपातकालीन सेवा एवं संस्थागत प्रसव सेवा पूर्व की भांति संचालित होती रहेगी।

5. COVID-19 True Positive मरीजों/व्यक्तियों के जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किये जाने की स्थिति में संस्थागत प्रसव सहित अन्य आपातकालीन सेवायें स्थगित रहेंगी तथा अनुमंडलीय अस्पताल Dedicated COVID अस्पताल के रूप में कार्य करेगी।

विश्वासभाजन

3/4/2020

(संजय कुमार)

पत्रांक: SHSB/AOCell/01/2020(P-1)/.............

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : ....

विषय: COVID-19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु सभी अनुमंडलीय अस्पताल में Isolation Ward का संचालन तथा आपातकालीन सेवा एवं संस्थागत प्रसव की सेवा प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 9664 दिनांक 26.03.2020 एवं पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय उक्त प्रासंगिक पत्रांक 9664 दिनांक 26.03.2020 द्वारा COVID-19 के चिकित्सकीय उपचार हेतु जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध सभी बेड का उपयोग Isolation Ward में करने संबंधी निदेश दिये गये हैं। उक्त पत्र की कंडिका 4 में निदेश दिया गया है कि अनुमंडलीय अस्पताल में पूर्व से भर्ती मरीजों (COVID-19 एवं इससे संबंधित संदेहात्मक मरीजों को छोड़कर), जो सामान्य/स्थिर स्थिति में आ चुके है, उन्हें शीघ्र अस्पताल से मुक्त कर दिया जाये और नये सामान्य/स्थिर मरीजों की भर्ती अनुमंडलीय अस्पताल में नही किया जाये।

2. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020 द्वारा बिहार राज्य में विदेश से आए व्यक्ति अथवा COVID-19 Positive के संपर्क में आए अथवा COVID-19 Positive व्यक्तियों के ईलाज हेतु Isolation Centre/Quarantine Centre में रखने के संबंध में निदेश दिये गये हैं।

3. उक्त के क्रम में स्पष्ट करना है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020 के अनुसरण में COVID-19 True Positive Asymptomatic को स्वास्थ्य संस्थान से अलग चिन्हित Isolation-cum-Treatment Centre में भर्ती किया जाये। इसके अतिरिक्त COVID-19 True Positive symptomatic मरीज अथवा जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, को जिला से संबद्ध (tagged) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती किया जाये। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के Isolation Ward में COVID-19 के मरीज/व्यक्ति की संख्या क्षमता से अधिक हो जाने पर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation Ward का उपयोग किया जायेगा।

4. जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation Ward में COVID-19 True Positive मरीजों/व्यक्तियों की भर्ती जब तक नही होती है, तब तक अनुमंडलीय अस्पताल में आपातकालीन सेवा एवं संस्थागत प्रसव सेवा पूर्व की भांति संचालित होती रहेगी।

5. COVID-19 True Positive मरीजों/व्यक्तियों के जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किये जाने की स्थिति में संस्थागत प्रसव सहित अन्य आपातकालीन सेवायें स्थगित रहेंगी तथा अनुमंडलीय अस्पताल Dedicated COVID अस्पताल के रूप में कार्य करेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

ज्ञापांक.....37..... पटना, दिनांक.....03/04/2020

प्रतिलिपिः–

- मुख्य सचिव, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/2020

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग